

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/3307/

जबलपुर, दिनांक 27 / 8 / 2020

श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अटैन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 23.08.2020 से लगातार बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनके कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण होने तक वेतन का भुगतान आगामी आदेश तक रोका जाता है।


सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/3308/

जबलपुर, दिनांक 27 / 8 / 2020

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री विवेक तिवारी, कोर्ट अटैन्डेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


21.08.2020

(किशोर पिठवे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.

(A)